

नगर परिषद, बाडमेर

(राजस्वाल नगरपालिका अधिकारीगं 2009 ती धारा के अन्वार्ता)

अनापति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BARMER/FIRENOC/2021-22/2378
जारी दिनांक: 10-AUG-2021

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: NAVNEET PANCHOLI
आवेदक का पता: NEAH NH 15 BARMER

विषय:- अधिनशमन अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वालत

आपके भवन THE MODERN SCHOOL, 101, GADANBARMER, BARMER, BARMER, BARMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिन सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पांचद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः-

- अनापति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- भवत के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अधिनशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया आवश्यक होगा।
- अधिनशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा अविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अधिनशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अधिकारी पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैक हर समय भेटे रखने होंगे व प्रत्य व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवश्य रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति जलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी दावर में दावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में स्थाना होगा।
- यह अधिन सुरक्षा प्रमाणपत्र अधिन सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापति प्रमाण पत्र रूफ्टॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफ्टॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अधिनशमन अधिकारी
नगर परिषद, बाडमेर

Signature valid

Digitally signed by Dr. S. Kumar
Designation: DCI/Ex. Commissioner
Date: 2021-08-10 14:48:36 IST
Reason: Approval



Manager Secretary/Member
School Management Committee
The Modern School
Sr. Sec., English Medium
Barmer (Raj.)

Principal
The Modern School
Sr. Sec., English Medium
Gadan, Barmer (Raj.)